

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी		
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर		
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 136 R.L.R.Act 1956		
प्रार्थना-पत्र नम्बर -68/2021	GCMS No. 2021/78	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/03/2021	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 136 R.L.R.Act 1956 तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 840/797 रकबा 0.1133 हैक्टर की तरमीम नक्शे लट्टे में सुव्यवस्थित ढंग से मौके अनुसार शुद्ध रूप से अंकित की हुई है इस तरमीम को ऑनलाईन व भू-नक्शा में तरमीम कार्य करते समय करवाई गई परन्तु खसरा नम्बर 840/797 रकबा 0.1133 हैक्टर की तरमीम ऑनलाईन भू नक्शे में लिपिकीय भूल से अशुद्ध रूप से दर्ज हो गई। खसरा नम्बर 840/797 रकबा 0.1133 हैक्टर की तरमीम नक्शा लट्टा में की गई तरमीम के अनुसार ऑनलाईन भू नक्शे में शुद्ध रूप करने के आदेश प्रदान करावें, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू.अ.नि. व नकल खतौनी, नक्शा प्रस्तुत किये है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम मण्डावरा पटवार हल्का मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के नामान्तरकरण संख्या 528 दिनांक 20.10.2016 अनुसार खसरा नम्बर 797/165 रकबा 1.41 हैक्टर मे से दीपाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार द्वारा खुशबू गौड पत्नी सुरेन्द्र गौड जाति ब्राह्मण सा. कुचामनसिटी को बेचान करने से खसरा नम्बर 840/797 रकबा 0.1133 हैक्टर दर्ज हुआ तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 797/165 रकबा 1.2967 हैक्टर दीपाराम नाम दर्ज रही, उक्त बेचान के अनुसार राजस्व नक्शे में यथास्थान भूमि तरमीम की गई, परन्तु ऑनलाईन तरमीम करते समय लिपिकीय भूल से गलत तरमीम हुई है, उक्त दुरुस्ती को सही करने हेतु भू.अ.निरीक्षक मण्डावरा एवं</p>	




3
अधिकारी

पटवारी हल्का मण्डावरा द्वारा संयुक्त रूप से मौका रिपोर्ट दिनांक 22.12.2020 को तैयार कर तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत की गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा उक्त संबंध में दुरुस्ती हेतु प्रकरण 136 के तहत तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल दिनांक 19.11.2020 एवं ऑन लाईन नक्शा प्रति दिनांक 19.11.2020 में भिन्नता है। इसलिए प्रार्थीया खातेदार खुशबू के हिस्से की भूमि को नक्शा ट्रेस ऑनलाईन में मौका रिपोर्ट अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 840/797 रकबा 0.1133 हैक्टर भूमि को नक्शा ट्रेस ऑनलाईन को ऑफ लाईन नक्शा अनुसार दुरुस्त किया जावे, मौका रिपोर्ट दिनांक 22.12.2020 आदेश का भाग रहेगी। उक्त अनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03/03/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।






(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

श्रीमान् जी ग्राम मण्डापुरा के खण्ड नं० $\frac{840}{797}$ रकबा 0.1133 हे० के खातेदार खुब्राणु पत्नी सुरेन्द्र गौड जाति ब्राह्मण निवासी कुचामसिरी के ~~खण्ड नं० $\frac{840}{797}$ की लटरा नक्शा~~ से ऑनलाइन थ्रू-नक्शा में तरमीम करते समय अशुद्ध तरमीम दर्ज हो गई है, जब इस प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में नक्शा लटरा व थ्रू-नक्शा दोनों में तरमीम का मिलान किया गया तो प्रार्थी के खण्ड नं० $\frac{840}{797}$ का नक्शा निम्न प्रकार प्रया गया। इसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है।

नक्शा लटरा जिसमें शुद्ध रूप से तरमीम दर्ज है।

ऑनलाइन थ्रू-नक्शा जिसमें अशुद्ध तरमीम दर्ज है।



इस प्रकार नक्शा लटरा से ऑनलाइन तरमीम करवाते समय थ्रू नक्शा गलती से इनके खण्ड नं० की तरमीम गलत दर्ज हो गई जिसको मौका एवं रिफॉर्ड की स्थिति के अनुसार दुरुस्त किया जाना है। मौके पर खातेदार खुब्राणु गौड पुत्र सुरेन्द्र गौड जाति ब्राह्मण तथा इनके पूर्व में बेचान फर्ग हीपाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट तथा पड़ोसी खातेदार मौके पर उपस्थित मिले जिनके समक्ष मौका देखा गया तथा तरमीम शुद्ध करवाने के बारे में बताया गया जिस पर उपस्थित खातेदारों ने अपनी सहमति प्रदान की तथा नक्शा लटरा में दर्ज तरमीम के अनुसार ऑनलाइन नक्शे में तरमीम दुरुस्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की तथा रस्ताशर किया गया।

मौका फर्द उपस्थित को पढ़कर सुनाई गई बावद हस्ताक्षर किया गया।

Signature
पं० मण्डापुरा

LR
08.1.21

मंगलाराम

दीवाराम

Signature
22/12/2020